प्रपत्रः—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्पः—पंचायत मुख्यालय सिणधरी चारणान
पीठासीन अधिकारी—श्री नाथूसिह राठौड़,आर.ए.एस

प्रकरण सं.:—151/2017

क्रमांकः—लो.अदा./2017/ 221 दिनांकः—31.5.17

आदेश

प्रार्थी अनिल कुमार उर्फ अनिलदान पुत्र सेवाराम उर्फ शिवदान जाति चारण साकिन सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर हाल—जयदेव नगर हिंसार तहसील हिंसार जिला हिंसार (हरियाणा) ने आवेदन पत्र इस आशंय का पेश किया,कि ग्राम—सिणधरी चारणान की खेत खसरा संख्या 108,110,111 कुल रकबा 207—18 बीधा भूमि आई हुई है। जिसमे मुझ प्रार्थी का अशुद्व नाम अनिलदान पुत्र शिवदान अंकित है। जबकि मुझ प्रार्थी का सही नाम अनिलकुमार पुत्र सेवाराम होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी के आवेदन पत्र मे उल्लेखित तथ्यो के सबंध मे जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से करवाई गई। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के आधार कार्ड,निर्वाचक आयोग का पहचान कार्ड,राशन कार्ड प्रति हरियाणा राज्य के है। प्रार्थी के पास तहसील सिणधरी बाड़मेर,राजस्थान के कोई दस्तावेज नही है। हरियाणा के दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम अनिलकुमार वल्द सेवारीम दर्ज है। जबकि जमाबंदी मे अनिदान वल्द शिवदान दर्ज है,जमाबंदी मे दर्ज नाम,प्रार्थी के पास उपलब्ध दस्तावेज जो हरियाणा के है,मे दर्ज नाम मे नाम पिता का नाम दोनो मे अंतर है,साक्ष्य अभाव के कारण आवेदन खारिज करने की अभिशंषा की गई है।

तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट एंव दस्तावेजी साक्ष्यो के अभाव के कारण प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(हस्ताक्षर) 31/5/17
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

क्रमांकः—लो.अदा./2017/ 222—24 दिनांकः— 31.5.2017

प्रतिलिपिः—

1. **तहसीलदार सिणधरी** को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. .प्रार्थी श्री. अनिल कुमार उर्फ अनिलदान पुत्र सेवाराम उर्फ शिवदान जाति चारण साकिन सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर हाल—जयदेव नगर हिंसार तहसील हिंसार जिला हिंसार (हरियाणा) .को सूचनार्थ।

3.रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 31/5/17
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner